Seventeenth Loksabha

>

Title: Regarding appointments on compassionate ground.

श्री सत्यदेव पचौरी (कानपुर): मैं केन्द्र सरकार का ध्यान भारत सरकार द्वारा वर्तमान में चलाई जा रही अनुकम्पा आधार पर किए जाने वाली नियुक्ति की विसंगतियों के संदर्भ में आकर्षित करना चाहता हूं । इस योजना के अंतर्गत यदि किसी केन्द्रीय कर्मचारी की सेवाकाल के दौरान अकस्मात मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार के एक सदस्य को भरण-पोषण हेतु अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति दिए जाने का प्रावधान है एवं इसके लिए पांच प्रतिशत मृतक आश्रित भर्ती कोटा निर्धारित है ।

उक्त प्रावधान वर्ष 1998 से चला आ रहा है एवं वर्तमान परिदृश्य में यह अव्यवहारिक होता जा रहा है । एवं अपने उद्देश्यों की पूर्ति में असफल सिद्ध हो गया है । क्योंकि मृतक आश्रित भर्ती कोटा की अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति नहीं हो पा रही है और यह संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है ।

अतः मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि वर्तमान में अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त किए जाने वाले पांच प्रतिशत मृतक आश्रित भर्ती कोटे के स्थान पर मृतक आश्रित की मृत्यु के तीन महीने के अंदर अनिवार्य रूप से उसके आश्रित को नियुक्त किया जाए ।